



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052021-226836  
CG-DL-E-04052021-226836

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2021/वैशाख 14, 1943

No. 253]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2021/VAISAKHA 14, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2021

सा.का.नि. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. अनुसंधान और विश्लेषण खंड जिसके अंतर्गत उसका तकनीकी खंड अर्थात् मंत्रिमंडल सचिवालय का विमानन अनुसंधान केन्द्र भी है।";

(ii) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्यांक 8 के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[फा.सं.1/1/2020-आईआर- II]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

**टिप्पण :** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची का निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा संशोधन किया गया था:--

- (i) सा.का.नि.सं. 347 तारीख 28 सितम्बर, 2005;
- (ii) सा.का.नि.सं. 235(अ), तारीख 28 मार्च, 2008;
- (iii) सा.का.नि.सं.726(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2008;
- (iv) सा.का.नि.सं. 442(अ), तारीख 9 जून, 2011; और
- (v) सा.का.नि.सं. 673(अ), तारीख 8 जुलाई, 2016।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2021

**G.S.R. 319(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely: —

In the Second Schedule to the Right to Information Act, 2005, -

- (i) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -  
“2. Research and Analysis Wing including its technical wing namely, the Aviation Research Centre of the Cabinet Secretariat.”;
- (ii) serial number 7 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) in serial number 8 for the word “Prontier”, the word “Frontier” shall be substituted.

[F. No. 1/1/2020-IR II]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

**Note:-** The second Schedule to the Right to Information Act, 2005 was amended *vide* notification numbers -

- (i) G.S.R. No. 347, dated the 28th day of September, 2005,
- (ii) G.S.R. No. 235(E), dated the 28th day of March, 2008;
- (iii) G.S.R. No. 726(E), dated the 8th October, 2008;
- (iv) G.S.R. No. 442(E), dated the 9th June, 2011; and
- (v) G.S.R. No. 673(E), dated the 8th July, 2016.